

कार्यालय—छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या..
ग्राम—उरला,पोस्ट—बी.एम.वाय.चरोदा जिला—दुर्ग (छ.ग.)

॥ निविदा फार्म वर्ष 2019—20 ॥

प्रति,

प्रबन्ध संचालक,

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या.,

ग्राम—उरला, पोस्ट—बी.एम.वाय.चरोदा, जिला—दुर्ग (छ.ग.)

महोदय,

निविदाकार का
फोटो

मैंने आपके कार्यालय द्वारा जारी दुग्ध संकलन परिवहन निविदा एवं संबंधित अनुबन्ध की शर्तें पढ़ ली हैं, यह निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं आवश्यक अनुबंध करने को तैयार हूँ। अमानत राशि रु. 5000/— (अक्षरी पांच हजार रूपयें मात्र) की डी.डी. उपलब्ध वाहनो की संख्या का शपथपत्र निविदा प्रति के साथ आवश्यक रूप से संलग्न है। निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में अपना वाहन नियत दिनांक एवं समय पर उपलब्ध कराउंगा। वांछित जानकारी निम्नानुसार है—

- (1) निविदाकार का नाम _____
- (2) पिता का नाम _____
- (3) स्थायी पूरा पता _____

- (4) वाहन क्रमांक _____
- (5) वाहन का प्रकार/मॉडल वर्ष/क्षमता _____
- (6) दूरभाष/मोबाईल नंबर _____
- (7) संकलन मार्ग क्रमांक _____
- (8) संकलन मार्ग का विवरण _____
- (9) संकलन परिवहन (निविदा) दर रूपये _____ प्रति किलो मीटर
(अक्षरी रु. _____)
- (10) वाहन के वैध पंजीयन, अध्यतन बीमा और अध्यतन फिटनेस सर्टिफिकेट इत्यादि कागजातों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न है।
- (11) बैंक पास बुक की छायाप्रति एवं पेन कार्ड नंबर _____
(छायाप्रति संलग्न हैं)

निविदाकार के हस्ताक्षर

निविदाकार का नाम _____

फोन नंबर _____

मोबाइल नंबर

॥ घोषणा पत्र ॥

मैं घोषित करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण सत्य है मुझे दुग्ध महासंघ की सभी शर्तें मान्य है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी त्रुटिपूर्ण पाई जाती है तो दुग्ध महासंघ का अंतिम निर्णय मुझे मान्य होगा।

निविदा प्रस्तुतकर्ता के हस्ताक्षर

निविदाकार का पूरा नाम :

पता :

.....

मोबाईल नंबर :

हस्ताक्षर निविदा कमेटी सदस्य

1 2 3

4 5 6

कार्यालय—छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या.

ग्राम—उरला,पोस्ट—बी.एम.वाय.चरोदा जिला—दुर्ग (छ.ग.)

॥ दुग्ध संकलन परिवहन हेतु तृतीय निविदा सूचना ॥

1	निविदा कार्य—दुग्ध संकलन परिवहन बाबत	
2	निविदा प्रपत्र का क्रय मूल्य	राशि रू. 500/- (अक्षरी पांच सौ रूपयें मात्र)
3	निविदा अवधि	दिनांक 01.03.2020 से 28.02.2021 तक
4	निविदा प्रपत्र विक्रय स्थान एवं दिनांक	छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के प्रशासनिक भवन (क्षेत्र संचालन शाखा) कार्यालयीन समय में 01.01.2020 से 24.01.2020 तक दुग्ध शीत केन्द्र—पखांजूर, धमतरी, भाटागांव, बिलासपुर, बसना, रायगढ़ में 02.01.2020 से 24.01.2020 तक
5	निविदा जमा	मुख्य दुग्ध संयंत्र उरला में दिनांक 25.01.2020 को दोपहर 2.00 बजे तक
6	निविदा खोलना	मुख्य दुग्ध संयंत्र उरला में दिनांक 25.01.2020 को दोपहर 3.00 बजे

उप महाप्रबंधक (क्षेत्र संचालन)

कार्यालय—छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या.

ग्राम—उरला,पोस्ट—बी.एम.वाय.चरोदा जिला—दुर्ग (छ.ग.)

निविदा क्रमांक / 7057 / छगदुमसं / क्षेत्र संचा. / 2019-20

दिनांक 28 / 12 / 2019

॥ दुग्ध संकलन परिवहन हेतु तृतीय निविदा सूचना ॥

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के मुख्य दुग्ध संयंत्र उरला तथा महासंघ से संबद्ध दुग्ध शीत केन्द्र पखांजूर, धमतरी, भाटागांव, बिलासपुर, बसना, रायगढ़ एवं संबंधित दुग्ध समितियों के बल्क मिल्क कूलर ईकार्डों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों से, दुग्ध संकलन वाहनो से, दुग्ध संकलन कार्य के लिए एक वर्ष की अवधि (01.03.2020 से 28.02.2021 तक) के लिए किराये बाबत सीलबंद निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र मुख्य कार्यालय उरला एवं दुग्ध संयंत्र/शीत केन्द्र से दिनांक 01.01.2020 से 24.01.2020 तक कार्यालयीन दिवस में रू. 500.00 (अक्षरी पांच सौ रूपयें मात्र) नगद जमा कर, प्राप्त किये जा सकेंगे। निविदा के साथ प्रत्येक दुग्ध संकलन मार्ग हेतु अर्नेस्ट मनी रू. 5000.00 की डी.डी. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के नाम से रायपुर में देय हो, निविदा फार्म के साथ, दिनांक 25.01.2020 तक दोपहर 2.00 बजे तक ग्राम उरला पोस्ट बी.एम.वाय. चरौदा जिला—दुर्ग में जमा करना होगा।

प्राप्त समस्त निविदायें, दिनांक 25.01.2020 को दोपहर 3.00 बजे निविदाकारों के समक्ष कार्यालय में खोली जायेगी। विस्तृत विवरण दुग्ध महासंघ की वेबसाइट www.cgcoopdairyfed.in पर उपलब्ध है।

प्रबन्ध संचालक

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या.

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित
ग्राम-उरला पोस्ट बी.एम.वाय.चरौदा जिला-दुर्ग (छ0ग0)

क्र.	मार्ग क्रमांक	मार्ग विवरण	वाहन का प्रकार	क्षमता टन	कुल कि.मी. प्रतिदिन
उरला डेयरी से संबद्ध मार्ग					
1	3 शीतलीकृत	सुंगेरा-उरला डेयरी	पिकअप	1.50	100
2	4 शटल	बड़गांव-खौली-बड़गांव	पिकअप	1.50	96
3	4 शीतलीकृत	बड़गांव-उरला डेयरी	पिकअप	1.50	90
4	5 संकलन सुबह पाली	बंगोली-मोहदा-बंगोली	क्लरजर	1.00	80
5	5 संकलन+शीत.	रोहांसी-अमेरा-कोसरंगी-बंगोली	टाटा 407	3.00	240
6	8 संकलन	सरदा-बारगांव-बेरला	टाटा ए.सी.ई.	1.00	110
7	8 शटल	माटरा-मावलीभाठा	टाटा ए.सी.ई.	1.00	136
8	8 शीतलीकृत	सरदा-मावलीभाठा-उरला डेयरी	टाटा 407	3.00	123
9	बीजागोड़-1	कांचरी-कोदवा-घोटवानी-बीजागोड़	टाटा ए.सी.ई.	1.00	176
पखांजूर शीत केन्द्र से संबद्ध मार्ग					
10	पखांजूर-3	पी.व्ही. 55-पखांजूर	टाटा ए.सी.ई.	1.00	86
11	पखांजूर-5	पी.व्ही. 37-पखांजूर	पिकअप	1.00	84
12	पखांजूर-6	पी.व्ही. 19-पखांजूर	टाटा ए.सी.ई.	1.00	90
राजनांदगांव से संबद्ध मार्ग					
13	राजनांदगांव-23	संडी-गंडई-छुईखदान-संडी	टाटा ए.सी.ई.	1.00	158
धमतरी शीत केन्द्र से संबद्ध मार्ग					
14	धमतरी-2	चारवाही-भरदा-फागुनदाह-धमतरी	पिकअप	1.50	200
15	धमतरी-3	सियनमरा-कंवर-धमतरी	पिकअप	1.50	132
16	धमतरी-4	खरेंगा-भोथली-बोडरा	पिकअप	1.50	158
17	धमतरी-5	संकरी-सिलघट-टिपानी-धमतरी	पिकअप	1.50	234
भाठागांव शीत केन्द्र से संबद्ध मार्ग					
18	भाठागांव-3	गुदगुदा-बानगर-चर्चा-गोबरा	टाटा ए.सी.ई.	1.00	127
अर्जुन्दा बी.एम.सी. से संबद्ध मार्ग					
19	अर्जुन्दा 26-ए	सुरेगांव-देवरी-जेवरतला-अर्जुन्दा	टाटा ए.सी.ई.	1.00	102
गरियाबंद बी.एम.सी. से संबद्ध मार्ग					
20	गरियाबंद-1	रावड़-पाण्डुका-रावड़	टाटा ए.सी.ई.	1.00	206
21	गरियाबंद-2	पोड़-मड़ेली-बारूला-पोड़	टाटा ए.सी.ई.	1.00	276
बिलासपुर शीत केन्द्र से संबद्ध मार्ग					
22	बिलासपुर-14 बी	रतनपुर-लोखण्डी-बिलासपुर	टाटा ए.सी.ई.	1.00	160
बसना शीत केन्द्र से संबद्ध मार्ग					
23	टप्पा बी.एम.सी.-1	पकरीद-चेचरापाली-सरकड़ा-टप्पा	पिकअप	1.50	114
24	के-1 कौहाकुड़ा बी.एम.सी.	कोमा-बी.के.बहरा-खपराखोल-कौहाकुड़ा	पिकअप	1.50	212
25	6-डी शीत.	रंगोरा-डूमरपाली-पकरीद	पिकअप	1.50	58
26	बसना 6-ए	अजगरखार-बितांगीपाली-बसना	पिकअप	1.50	162
27	बसना-टप्पासेवईया नया	डोंगरीपाली-भैरापुर-टेका-टप्पा	पिकअप	1.50	116
28	बसना 6-ई	कुदारीबहरा-सिंघनपुर-भूकेल	टाटा 407	3.00	144
29	सालर-बसना शीत.	सालर-से बसना शीतलीकृत	पिकअप	1.50	106
30	बनहर शीतलीकृत	बनहर-बसना सी.सी.	पिकअप	1.50	114
बम्हनीडीह (जांजगीर-चांपा) बी.एम.सी. से संबद्ध मार्ग					
31	बम्हनीडीह-1	उदयभाठा-भोड़िया	पिकअप	1.50	244

रायगढ़ से संबद्ध दुग्ध संकलन मार्ग					
32	सारंगढ़-1	खर्री बड़े-डोंगिया-खर्री	टाटा ए.सी.ई.	1.00	130
33	सारंगढ़-2	सालर-मानिकपुर-चिखली-अचानकपाली-रामटेक-सालर	पिकअप	1.50	120
34	सारंगढ़-3	बंधापाली-बनहर	पिकअप	1.50	77
35	लेन्ध्रा-1	कपरतुंगा-खिचरी-सरईपाली	पिकअप	1.50	52
36	बरपाली-1	अमलीपाली-नवागांव-बरपाली	पिकअप	1.50	116
37	बरपाली-3	कोड़ातराई-भठली-बरपाली	पिकअप	1.50	138
38	गोबरसिंघा-1	कोतमरा-डभरा-गोबरसिंघा	पिकअप	1.50	158
39	बरपाली-रायगढ़ शीत.	बरपाली-रायगढ़ शीतलीकृत	पिकअप	1.50	80

नोट-

- 1- नये बी.एम.सी. प्रारंभ होने पर मार्ग की दूरी में कमी या वृद्धि की जा सकती है।
- 2- शीतलीकृत दूध को दुग्ध महासंघ के टेंकर से उठाया जाता है तो संबंधित मार्ग को बीच में बंद किया जा सकेगा।
- 3- वाहन मॉडल वर्ष 2017-18 के पश्चात् की प्राथमिकता दी जावेगी।
- 4- बंद लिफाफे के उपर निविदाकार का नाम व पता, वाहन क्रमांक एवं मार्ग क्रमांक लिखा जाना अनिवार्य है।

कार्यालय—छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या.

ग्राम—उरला,पोस्ट—बी.एम.वाय.चरोदा जिला—दुर्ग (छ.ग.)

- (1) निविदा निहित प्रपत्र पर ही मान्य होगी, प्रत्येक दुग्ध संकलन मार्ग क्रमांक एवं मार्ग विवरण के वाहन हेतु अलग-अलग निविदा प्रस्तुत करना होगा।
- (2) निर्धारित दिनांक एवं समय के पश्चात् निविदा मान्य नहीं होगी।
- (3) प्रत्येक निविदा प्रपत्र के साथ अर्नेस्ट मनी राशि रु. 5000.00 का डी.डी. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के नाम से देय हो, संलग्न करना होगा। **“नगद राशि जमा नहीं होगी”**
- (4) बिना धरोहर राशि के प्राप्त निविदा/निविदायें मान्य नहीं होगी। रसीद/ ड्राफ्ट आवश्यक रूप से संलग्न करना होगा।
- (5) निविदा लिफाफा चपड़ी में बंद होना चाहियें।
- (6) निविदा प्रपत्र पूर्ण बिना काटपीट के स्वच्छ अक्षरों में होना चाहिए, जिसे बन्द लिफाफे में एवं बन्द लिफाफे के ऊपर कार्य विवरण अर्थात् निविदा क्रमांक एवं दुग्ध संकलन मार्ग क्रमांक हेतु निविदा आवश्यक रूप से अंकित कर जमा करें। यदि किसी प्रकार की निविदा भरते वक्त काटपीट की जाती है तो वहां निविदाकार का हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक होगा।
- (7) निविदा में दर प्रति कि.मी., माडल, वाहन का प्रकार इत्यादि की भी जानकारी मांगी गयी है, का स्पष्ट उल्लेख किया जावे तथा निविदाकार का पता एवं फोन नम्बर भी आवश्यक रूप से अंकित करना होगा।
- (8) निविदाकार को वाहन मालिकी हक का होना आवश्यक होगा। इस हेतु पंजीयन की छायाप्रति संलग्न करें। तथा मूल प्रति से सत्यापित कराना होगा एवं यही वाहन संकलन कार्य करेगी। अन्य वाहन से बिना अनुमति संकलन करने पर उस दिनांक का परिवहन भाड़ा देय नहीं होगा।
- (9) वाहन से संबंधित रोड टेक्स इत्यादि भरा हुआ होना चाहिए एवं वाहन बीमाकृत होना चाहिए।
- (10) आवश्यकता होने पर निविदाकार को अपना वाहन कार्यालय में निरीक्षण हेतु लाना होगा।
- (11) निविदा स्वीकृत होने पर निविदाकार द्वारा अनुबन्ध निष्पादित किया जावेगा, जिसमें प्रत्येक दुग्ध संकलन मार्ग पर दिये जाने वाले प्रत्येक वाहन विरुद्ध वाहन प्रतिभूति राशि का विवरण निम्नानुसार है—

क्र.	वाहन का प्रकार	राशि
1	जीप	15000.00
2	टाटा ए.सी.ई.	15000.00
3	महेन्द्र मैक्स	15000.00
4	डी.आई 207	15000.00
5	पिकअप	15000.00
6	टाटा 407	20000.00

निर्धारित राशि का बैंक ड्राफ्ट अथवा नगद कार्यालय में अनुबन्ध निष्पादन के समय जमा करनी होगी । निर्धारित अवधि में अनुबन्ध निष्पादित न होने से धरोहर राशि राजसात कर निविदा निरस्त कर दी जावेगी । महासंघ द्वारा निविदाकार से प्राप्त “धरोहर राशि एवं प्रतिभूति राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा” ।

- (12) अस्वीकृत निविदा की धरोहर राशि आमंत्रित निविदा के परिप्रेक्ष्य में अंतिम निर्णय होने के तीन माह पश्चात् बिना ब्याज के रेखांकित चेक द्वारा वापसी योग्य होगी ।
- (13) निविदा के संदर्भ में अनुबन्ध की शर्तें एवं निविदा निहित प्रपत्र में संलग्न करनी होगी ।
- (14) संचालक मण्डल एवं महासंघ में कार्यरत कर्मचारी या निकट संबंधी की निविदायें आपत्ति प्राप्त होने पर स्वीकृत नहीं की जायेगी । अथवा स्वीकृत होने की दशा में जांच कर निरस्त कर दी जावेगी तथा प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी ।
- (15) ऐसे वाहन ठेकेदार जो गतवर्ष अनुबंधित किये गये थे, जिनका कार्य संतोषप्रद नहीं रहा की निविदा, कमेटी/प्रबन्ध संचालक द्वारा अमान्य की जा सकेगी । इस हेतु किसी भी प्रकार का कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा ।
- (16) निविदा स्वीकृत अस्वीकृत करने का समस्त अधिकार प्रबन्ध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या. के पास सुरक्षित रहेगा ।
- (17) आयकर व व्यवसाय कर आदि की राशि परिवहन ठेकेदार से काटी जावेगी । साथ ही समय-समय पर सरकार द्वारा प्रसारित नियम आदेश नियमानुसार लागू किये जावेंगे एवं तदनुसार कटौती की जावेगी ।
- (18) अनुबंध करते समय द्वितीय पक्ष को स्टेट बैंक आफ इंडिया का बचत खाता क्रमांक एवं स्थायी खाता नंबर (PAN) कार्ड की सत्यापित छायाप्रति जमा करना आवश्यक होगा ।
- (19) संकलन मार्ग पर बल्क मिल्क कूलर स्थापित किये जाने पर संकलन वाहन ठेकेदार को एक माह की सूचना देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा ।
- (20) दुग्ध समितियों में स्थापित बल्क मिल्क कूलर में अवरोध उत्पन्न होने पर किसी भी वाहन को अनुबंधित दर पर उन बल्क मिल्क कूलर वाली समितियों में संकलन हेतु भेजा जा सकेगा ।
- (21) संयंत्र/शीत केन्द्र में अवरोध होने पर संकलन वाहनो को निकट के अन्य संयंत्र/शीत केन्द्र पर अनुबंधित दर पर भेजा जा सकेगा ।
- (22) पृथक-पृथक मार्ग पर एक ही वाहन क्रमांक की निविदा प्राप्त होने तथा स्वीकृत होने पर दुग्ध महासंघ को यह अधिकार होगा की वह किस मार्ग की निविदा स्वीकृत करें यह निर्णय निविदाकार को मान्य होगी ।

- (23) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 या अन्य वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक होने पर लाइसेंस प्राप्त करने का उत्तरदायित्व द्वितीय पक्ष को होगा। अनुबंध प्रारंभ होने के 1 माह के भीतर लाइसेंस प्राप्त कर इसकी छायाप्रति दुग्ध महासंघ में प्रस्तुत करनी होगी।
- (24) वाहन टेकेदार को वाहन अनुबंध प्राप्त होने के 1 माह के अंदर दुग्ध महासंघ द्वारा निर्धारित प्रारूप में दुग्ध महासंघ के उत्पादों का विज्ञापन अनुबंधित वाहनो पर लिखवाना होगा। साथ ही दुग्ध संकलन वाहन पर दुग्ध महासंघ का सम्पर्क मोबाईल नंबर लिखवाना होगा।
- (25) अनुबंधित वाहन में ईंधन के रूप में डीजल का ही उपयोग किया जावेगा।
- (26) समस्त न्यायालयीन कार्य का कार्यक्षेत्र रायपुर ही रहेगा।
- (27) यदि पूर्व में किसी वाहन टेकेदार को प्रतिबंधित अथवा काली सूची (ब्लैक लिस्टेड) में डाला गया है तो वह निविदा नहीं भर सकेगा। साथ यदि उसके द्वारा निविदा प्रस्तुत की गई है तो उस पर विचार नहीं किया जावेगा तथा जमा अर्नेस्ट मनी राजसात की जा सकेगी।
- (28) दुग्ध संकलन मार्ग पर पड़ने वाले टोल टेक्स की राशि निविदा दर में सम्मिलित करें। जिन मार्गों पर अनुबंध पश्चात् नये टोल टेक्स प्रारंभ होंगे, उनके लिए अलग से भुगतान किया जावेगा।
- (29) अनुबंध अवधि में किसी विशेष परिस्थिति में प्रथम न्यूनतम निविदा दर वाले द्वारा वाहन नहीं लगाया जाता या अनुबंध अवधि में बीच में वाहन बंद किया जाता है तो द्वितीय न्यूनतम दर वाले निविदाकार को वाहन चलाने हेतु आदेश किया जा सकेगा।
- (30) निविदा स्वीकृत होने पर 500.00 रु. के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर के साथ एवं अन्य शर्तें बाटर मार्क पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (31) शीतलीकृत दूध परिवहन हेतु आमंत्रित निविदा वाहन पर छाया हेतु शेड होना आवश्यक है। बिना शेड वाली वाहन की निविदा स्वीकृत नहीं की जावेगी।

दुग्ध संकलन कार्य हेतु अनुबन्ध

फोटो

यह अनुबन्ध पत्र आज दिनांक को लिखा गया जिसका प्रथम पक्ष छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित उरला बी.एम.वाय. चरोदा जिला दुर्ग एवं द्वितीय पक्ष श्री/श्रीमती निवासी है।

यह अनुबन्ध उभय पक्षकारों के बीच दुग्ध संकलन मार्ग क्रमांक ----- मार्ग विवरण -----
द्वितीय पक्ष/वाहन ठेकेदार/की वाहन क्रमांक-----माडल -----
----- भार वाहन क्षमता----- टन, रूपये ----- शब्दों में ----- प्रति कि.मी./प्रति पाली की दर से अनुमानित दूरी ----- कि.मी. आज दिनांक ----- जो निम्नलिखित शर्तों पर दुग्ध संकलन कार्य हेतु निष्पादित किया गया :-

- (1) यह अनुबन्ध अवधि दिनांक ----- से ----- तक रहेगा । प्रथम पक्ष को यह अवधि इन्हीं शर्तों के अधीन तीन माह तक बढ़ाने का अधिकार होगा । आपसी सहमति से यह अवधि एक वर्ष तक और बढ़ायी जा सकती है ।
- (2) इन शर्तों को दुग्ध संकलन परिवहन ठेके की शर्तें कहा जायेगा । शर्तों में जहां – जहां संस्था शब्द आयेगा, उसका तात्पर्य सहकारी दुग्ध समिति मर्यादित एवं जहां-जहां महासंघ शब्द आयेगा, उसका तात्पर्य छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या., उरला, जिला- दुर्ग माना जावेगा । डेयरी का तात्पर्य डेरी डाक उरला, जिला- दुर्ग होगा एवं छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ के अंतर्गत शीत केन्द्र शब्द आयेगा, उसका तात्पर्य दुग्ध शीत केन्द्र बसना, धमतरी, पखांजूर, बिलासपुर, रायगढ़, सारंगढ़, भाठागांव, अम्बिकापुर, बैकुंठपुर, जशपुर, कबीरधाम एवं बी.एम.सी. टप्पासेवईया, गोडबहाल, छिलपावन, नरतौरा, कसहीबहरा, खुटेरी, कौहाकुड़ा, उमरिया, मोहदा, केदुवा, अमलीडीपा, केना, रंगोरा, भगतदेवरी, लेन्धा, बरपाली, गोबरसिंघा, अमझर, बनहर, सालर, लखौली, अमेरा, रोहांसी, कोसरंगी, रावण, पोड, श्यामनगर, पुटीडीह, बम्हनीडीह, सहदेवनगर, अर्जुन्दा, खैरागढ़, बेन्द्री, बड़गांव, बंगोली, सुंगेरा, मावलीभाटा, सरदा, बीजागोड़ से होगा ।
- (3) द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबन्ध निष्पादन के पूर्व प्रतिभूति राशि/जमानत राशि जिसमें जीप/टाटा ए. सी.ई./महेन्द्रा मैक्स/डी.आई. 207/पिकअप हेतु रूपये 15000/- (अक्षरी रूपये पन्द्रह हजार मात्र)/टाटा 407, वाहन हेतु रूपये 20000/- (बीस हजार रूपये मात्र) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या., उरला, जिला-दुर्ग में ड्राफ्ट अथवा नगद रूप में जमा करना होगा या ठेकेदार के आवेदन पर परिवहन देयक से प्रतिभूति राशि कटौती की जावेगी, इस राशि पर किसी भी प्रकार का कोई ब्याज देय नहीं होगा । अनुबन्ध अवधि की समाप्ति पर संबंधित दुग्ध समितियों से/क्षेत्राधिकारी/ग्रामीण विस्तार संगठकों से अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त कर राशि की वापसी हेतु आवेदन महासंघ में प्रस्तुत करना होगा तथा लेनदारी/देनदारी का समायोजन अंतिम देयक से प्रथम पक्ष द्वारा तीन माह के अंदर किया जायेगा । द्वितीय पक्ष को अनुबन्ध समाप्त या अन्य वजह से अनुबन्ध समाप्त होने पर एक माह के भीतर मार्ग के संबंधित दुग्ध समितियों से अदेय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

- (4) प्रथम पक्ष के निर्देशानुसार प्रतिदिन सुबह/शाम एक पाली अथवा दोनों पाली में निर्धारित समय पर धुले, खाली केन ढक्कन सहित नामांकित संस्थाओं को पहुंचाने एवं दूध से भरे केन ढक्कन सहित डेयरी तक लाने की जावबदारी द्वितीय पक्ष की होगी । इस हेतु महासंघ द्वारा समय समय पर आवश्यकता अनुसार दी गई निर्धारित समय सारणी ठेकेदार को (द्वितीय पक्ष) द्वारा मान्य होगी । समितियों द्वारा दूध केनों को सीलड कर भेजा जाता है उन सभी केनों को सीलड डेयरी डाक तक मापतौल होने तक सुरक्षित रखने की जवाबदारी ठेकेदार की रहेगी । केन सीलड टूटे अथवा बदले पाये जाने पर एवं ऐसी दशा में समिति से हानि की शिकायत प्राप्त होने पर हानि की राशि ठेकेदार के देयक से वसूली जावेगी । मार्ग पर किसी संस्था का दूध न लाये जाने पर द्वितीय पक्ष को कारण सहित लिखित सूचना महासंघ को उसी दिन एवं उसी पाली में देनी होगी, जिसकी जांच महासंघ द्वारा की जायेगी । केन व ढक्कन प्राप्ती एवं प्रदाय मात्रा का हिसाब द्वितीय पक्ष को देना होगा । संस्थाओं में केन एवं ढक्कन बदलने की दशा में या गुम हो जाने की दशा में ठेकेदार को एक सप्ताह के अंदर निदान करना होगा । निदान न होने कि स्थिति में संस्थाओं के एल्यूमिनियम केन मय ढक्कन की राशि रु. 4000.00 (अक्षरी चार हजार मात्र) जिसमें केन की राशि रु. 3500.00 + ढक्कन की राशि रु. 500.00) तथा स्टेनलेस स्टील केनमय ढक्कन की राशि रु.4500.00 (अक्षरी चार हजार पांच सौ मात्र, जिसमें केन की राशि 4000.00 + ढक्कन की राशि 500.00) वाहन ठेकेदार के देयक से काटी जायेगी । इस हेतु महासंघ का निर्णय अंतिम एवं द्वितीय पक्ष को मान्य होगा । महासंघ द्वारा संस्थाओं को दिये जाने वाले सामान पशु आहार, घी, घास बीज, संस्था में लगने वाले मिलको टेस्टर, इलेक्ट्रानिक तौल कांटा, दुग्ध संग्रहण व जांच उपकरण सामान एवं लेखन सामग्री, रजिस्टर, एसिड, अलकोहल एवं अन्य सामान डेयरी से ले जाने व संस्था में उतारने, उसका लेखा जोखा महासंघ द्वारा बताये अनुसार द्वितीय पक्ष को रखना होगा । उक्त सामान गुम होने पर नुकसान होने अथवा उसी दिन उसी पाली में संस्था को न पहुंचाये जाने की स्थिति में उस सामान की पूरी कीमत एवं रूपये 50/- प्रति समिति दण्ड लगाकर द्वितीय पक्ष से वसूल की जायेगी ।
- (5) किसी दशा में डेयरी पर वाहन समय पर नहीं पहुंचने की स्थिति में दूध खराब होने पर होने वाले समस्त नुकसान की राशि द्वितीय पक्ष से वसूल की जायेगी । इसके अतिरिक्त यदि संकलित दूध का 50 प्रतिशत से अधिक खट्टा/फटा दूध डेयरी डाक पर प्राप्त होने पर परिवहन भाड़े से 50 प्रतिशत का कटौती किया जायेगा जो द्वितीय पक्ष को मान्य होगा ।
- (6) वाहन ठेकेदार को यह शपथ पत्र देना होगा कि उसका कोई रिश्तेदार/संबंधी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या. में किसी भी पद पर कार्यरत नहीं है ।
- (7) किसी भी कारण से यदि संकलन मार्ग पर दुग्ध संकलन कार्य बंद रहता है तो द्वितीय पक्ष को महासंघ से कोई भाड़ा नहीं दिया जायेगा व इसकी सूचना समय पर कर दी जायेगी ।

- (8) दुग्ध वाहन निर्धारित समय से डेयरी डाक पर न पहुंचने की स्थिति में प्रत्येक 15 मिनट के लिए रु. 25/- अक्षरी रूपये पच्चीस मात्र/या खट्टे/फटे दूध से होने वाली हानि की राशि का जो भी अधिक हो द्वितीय पक्ष से बसूला जायेगा ।
- (9) किसी भी प्रकार की हड़ताल या बन्द में ठेकेदार सम्मिलित नहीं हो सकेगा, दुग्ध परिवहन नियमित दिन में दो बार करना होगा, ऐसा न होने की स्थिति में सम्पूर्ण हानि की जवाबदारी ठेकेदार की रहेगी ।
- (10) ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि के अनुपस्थित रहने की दशा में दूध का जो परीक्षण परिणाम होगा, वह द्वितीय पक्ष को मान्य होगा ।
- (11) महासंघ के कार्य हेतु महासंघ के अधिकृत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यकता पड़ने पर वाहन में ले जाना होगा ।
- (12) महासंघ की सामग्री के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा सामान एवं सवारी दूध वाहन में नहीं ले जाया जायेगा । महासंघ के अधिकारी द्वारा निरीक्षण एवं जांच के समय यदि उपरोक्त अनियमितता पायी गयी तो उस पाली का भाड़ा महासंघ द्वारा देय नहीं होगा एवं पूर्व में महासंघ एवं संस्था स्तर पर दूध की मात्रा तथा परीक्षण परिणाम में होने वाले अंतर की राशि द्वितीय पक्ष के देयक से काट ली जायेगी । लगातार तीन बार शिकायतें रहती हैं तो वाहन बंद कर जमा अमानत राशि राजसात की जावेगी एवं आगामी दो वर्षों तक महासंघ की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जा सकेगा । यदि महासंघ द्वारा दिये निर्धारित दिनांक तक समिति में सप्लाई होने वाला सामान द्वितीय पक्ष द्वारा समिति पर नहीं पहुंचाया जाता है तो महासंघ वैकल्पिक व्यवस्था कर सामान पहुंचायेगा, जिस पर होने वाला संपूर्ण व्यय द्वितीय पक्ष वहन करेगा ।
- (13) मार्ग पर संस्थाओं को महासंघ द्वारा भेजे जाने वाले सामानों को लाने अथवा ले जाने के लिए एवं उसका ठीक हिसाब रखने हेतु द्वितीय पक्ष बाध्य होगा । निम्नलिखित सामानों को लाने अथवा ले जाने के लिए महासंघ द्वारा अलग से भाड़ा दिया जावेगा जो निम्नानुसार रहेगा :-
- (क) पशु आहार प्रति बोरा रु. 5/- (अक्षरी रूपये पांच मात्र)
- (ख) घी प्रति टिन 15 किलो अथवा 16 किलो के कार्टून के लिए 5.00 रूपये
(अक्षरी पांच रूपये मात्र)
- (ग) घास बीज प्रति बोरा रु. 5/- (अक्षरी रूपये पांच)
- (घ) विपणन कार्य के लिए दुग्ध परिवहन पर प्रति क्रेट 5.00 रूपये (अक्षरी पांच रूपये मात्र)
- अन्य सामानों के परिवहन हेतु कोई भाड़ा नहीं दिया जायेगा । उपरोक्त कार्यों के लिए प्रत्येक माह में द्वितीय पक्ष को देयक प्रस्तुत करना होगा ।
- (14) द्वितीय पक्ष द्वारा जो कर्मचारी वाहन पर नियुक्त किये जायेंगे, वे महासंघ के निर्देशानुसार कार्य करेंगे । लापरवाही बरते जाने पर महासंघ के आदेशानुसार ठेकेदार को उन पर कार्यवाही कर उन्हें कार्य से अलग करना होगा । ऐसा न करने पर महासंघ ठेका निरस्त कर सकता है ।
- (15) द्वितीय पक्ष का कार्य संतोषप्रद नहीं पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में निविदा निरस्त की जा सकती है व संपूर्ण प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी ।

- (16) द्वितीय पक्ष बिना महासंघ की अनुमति के संकलन कार्य हेतु वाहन नहीं बदल सकता व वाहन खराब होने की स्थिति में केवल एक दिन के लिए बिना अनुमति के वाहन बदल सकेगा, या इसके अतिरिक्त यदि वाहन की मरम्मत में एक दिन से अधिक का समय लगता है तो महासंघ की लिखित अनुमति से ही उस अवधि तक के लिए दूसरा वाहन चला सकता है । ठेके की अवधि में किसी दिन द्वितीय पक्ष अपने दूध संकलन मार्ग की संस्थाओं की संकलित दूध परिवहन हेतु वाहन नहीं भेज पायेगा तो ऐसी परिस्थिति में हानि के रूप में उस दिन संस्थाओं द्वारा संग्रहित दूध का समस्त मूल्य एवं संस्थाओं के हेडलोड की राशि द्वितीय पक्ष से वसूल की जायेगी । उक्त स्थिति में परिवहन महासंघ द्वारा किया जाता है तो उस वाहन का अतिरिक्त भुगतान भी द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से वसूल किया जायेगा । द्वितीय पक्ष मार्ग पर अनुबंधित वाहन का ही उपयोग करेगा । बिना अनुमति के वाहन बदलने पर निराकरण न होने की दशा में देयक से 50 प्रतिशत राशि कटौती की जायेगी एवं समस्त हर्जाने के जिम्मेदार द्वितीय पक्ष होंगा ।
- (17) द्वितीय पक्ष को प्रतिमाह दो बार देयकों को भुगतान किया जायेगा । प्रथम पखवाड़े को देयक दिनांक 20 को दिये जाने पर 30 तारीख तक भुगतान किया जावेगा । इसी तरह द्वितीय पखवाड़े का देयक प्रत्येक माह की 5 तारीख तक दिये जाने पर दिनांक 15 तक भुगतान किया जावेगा ।
- (18) वाहन पर कार्यरत कर्मचारी द्वारा संस्था व महासंघ के कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने पर महासंघ द्वारा निर्देशित कार्यवाही द्वितीय पक्ष को करनी होगी । कार्यवाही नहीं करने की दशा में प्रतिभूति की राशि जब्त कर ली जावेगी । वाहन ठेकेदार अथवा वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों द्वारा समितियों के पदाधिकारियों/कर्मचारियों से किसी तरह का नगद लेन-देन नहीं किया जावेगा और न ही ऐसी किसी राशि का कटौती महासंघ द्वारा उनके देयक से किया जावेगा इसके उपरांत यदि लेन-देन किया जाता है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी वाहन ठेकेदार अथवा वाहन पर कार्यरत कर्मचारी की होगी ।
- (19) महासंघ एवं संस्थाओं द्वारा दी गई दैनिक प्रतिपाली डाक मांग पत्र एवं फैंट-वैट स्लिप उसी दिन समय पर पहुंचाने की व्यवस्था की जवाबदारी द्वितीय पक्ष की होगी । ऐसा न करने पर महासंघ द्वारा प्रतिपाली प्रति संस्था के हिसाब से रु. 5/- (अक्षरी रूपये पांच मात्र) द्वितीय पक्ष के बिल से वसूल किये जावेगे ।
- (20) "वर्षा, प्राकृतिक विपदा एवं अन्य उचित कारण से मार्ग अवरूद्ध होने की दशा में द्वितीय पक्ष द्वारा उसी पाली के कार्यकाल में पंचनामा प्रस्तुत करना होगा। प्राप्त आवेदन को सत्यापन पश्चात मान्य अथवा अमान्य करने का निर्णय प्रबन्ध संचालक महोदय द्वारा लिया जायेगा जो कि द्वितीय पक्ष को अंतिम रूप से मान्य होगा ।"

- (21) द्वितीय पक्ष अनुबन्ध अवधि में यदि ठेके हस्तांतरण करना चाहेगा तो प्रबन्ध संचालक की अनुमति से रूपये 5000/— (अक्षरी रूपये पांच हजार मात्र) हस्तांतरण शुल्क महासंघ कार्यालय में जमा कर स्वीकृत दर पर वाहन की स्वीकृत क्षमता, अनुबन्ध की शर्त मान्य करने वाले अन्य व्यक्ति को जिसके नाम से वाहन हो, अनुबन्ध की शेष अवधि के लिए अनुबन्ध की शर्तों को मान्य कराते हुए हस्तांतरित कर सकेगा । इस प्रकार के हस्तांतरण की कार्यवाही 10 दिन पूर्व कार्यालय में उपस्थित होकर सम्पन्न करना होगा । अनुबंध से प्रथम तीन माह तक ठेका हस्तांतरण की अनुमति नहीं दी जावेगी ।
- (22) दुग्ध वाहन में गर्मी एवं वर्षा से बचाव के लिए द्वितीय पक्ष को वाहन पर हुड एवं त्रिपाल/तालपत्री लगाना अनिवार्य होगा । उसी प्रकार दूध से भरे केनों पर खाली बोरी रखकर उस पर पानी छिड़कने की व्यवस्था करनी होगी, अन्यथा वाहन समय पर आने के बावजूद यदि दूध खट्टा/फटा होता है तो हानि की वसूली द्वितीय पक्ष से की जायेगी । हुड एवं त्रिपाल/तालपत्री के ना होने पर प्रबन्ध संचालक को विवेकानुसार पेनाल्टी करने का अधिकार होगा ।
- (23) महासंघ के अधिकारी अथवा सुपरवाइजर द्वारा मार्ग के चेकिंग के दौरान दुग्ध वाहन के कर्मचारियों के द्वारा दूध में गड़बड़ी करते अथवा कराते हुए पाया गया तो मार्ग पर पड़ने वाली सभी संस्थाओं की ठेके के दौरान दूध में जो कमी आयी है व अन्य हानि हुई है वह द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से वसूल की जायेगी । इस संबंध में महासंघ का निर्णय अंतिम एवं द्वितीय पक्ष को मान्य होगा । इसी प्रकार दुग्ध समितियों या अन्य जन सामान्य द्वारा वाहन में दूध की हेराफेरी करते हुए पाये जाने पर, उनके फोटो के आधार पर उक्तानुसार हानि की वसूली की जावेगी एवं ठेका निरस्त कर काली सूची में अंकित किया जावेगा ।
- (24) द्वितीय पक्ष के वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों के विरुद्ध सरकारी कानून के अनुसार की जाने वाली कार्यवाही की जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी व इसी वजह से महासंघ या संस्था को हानि होगी, वह द्वितीय पक्ष से वसूल की जावेगी ।
- (25) डेयरी/दुग्ध शीत केन्द्र की परिधि के अन्दर आने वाले वाहन निर्धारित रफ्तार से ज्यादा गति से नहीं चलाई जावेगी, न ही डेयरी परिधि में वाहन की साफ सफाई की जायेगी । इसी प्रकार द्वितीय पक्ष के वाहन ठेकेदार/हेल्पर द्वारा प्लांट परिसर में अनुशासन भंग कार्य किये जाने पर प्रथम पक्ष को स्वविवेकानुसार पेनाल्टी करने का अधिकार होगा ।
- (26) स्वीकृत दर अनुबंधित अवधि में लागू रहेंगे । ठेकेदार को अनुबन्ध अवधि में वाहन हेतु उपयोग में आने वाले डीजल/आईल की व्यवस्था किसी भी परिस्थितियों में स्वयं करने पड़ेगी । इसके लिए किसी प्रकार से व्यवस्था की जवाबदारी महासंघ की नहीं रहेगी । अनुबंधित वाहन में ईंधन के रूप में डीजल का ही प्रयोग किया जावेगा । यदि वाहन ठेकेदार द्वारा घासलेट, मिलावटी डीजल या गैस से वाहन चलाया जाता है एवं इस कारण शासन द्वारा वाहन जब्त किया जाता है तो वाहन ठेकेदार को संकलन के लिए अन्य वाहन की व्यवस्था करनी होगी । यदि महासंघ स्तर से वाहन व्यवस्था स्थानीय बाजार से की जाती है, तो उसमें होने वाले अतिरिक्त व्यय की वसूली द्वितीय पक्ष से की जावेगी तथा अनुबंध समाप्त एवं प्रतिभूति राजसात की कार्यवाही भी की जा सकेगी ।

अनुबन्ध अवधि में डीजल की दर में वृद्धि/कमी होने पर आपसी चर्चा द्वारा अनुपातिक दर से वृद्धि/ कमी की गणना निम्नानुसार की जावेगी।

वाहन का प्रकार	औसत कि.मी. प्रति लीटर डीजल
जीप	15
टाटा ए.सी.ई.	22
महेन्द्रा मैक्स	15
डी.आई. 207	15
पिकअप	15
टाटा 407	10

इस प्रकार औसत कि.मी. पर डीजल दर वृद्धि/कमी से राशि की गणना तदानुसार वाहन की दरों में वृद्धि/कमी प्रत्येक तीन माह में प्रभावशील डीजल दर से प्रति कि.मी. कमी या वृद्धि की जावेगी।

- (27) द्वितीय पक्ष यदि अनुबंध अवधि के बीच में ठेका/अनुबंध समाप्त करना चाहेगा तो उसे महासंघ को तीन माह पूर्व लिखित में सूचना देना होगा। यदि तीन माह पूर्व की सूचना नहीं दी जाती है तो प्रबन्ध पक्ष को द्वितीय पक्ष की प्रतिभूति राशि राजसात करने का अधिकार होगा।
- (28) वर्षा एवं अन्य परिस्थितियों में यदि वाहन संस्था तक नहीं जा सके तो हेडलोड की व्यवस्था महासंघ द्वारा की जावेगी, जिसका भुगतान हेडलोड दूरी के लिए हेडलोड राशि का भुगतान महासंघ द्वारा दुग्ध देयक के माध्यम से संस्था को किया जावेगा एवं कि.मी. के अंतर की राशि का कटौती ठेकेदार के देयक से किया जायेगा।
- (29) द्वितीय पक्ष को वाहन के साथ कम से कम एक कर्मचारी वाहन चालक के अतिरिक्त रखना होगा जो सामान उतारने एवं चढ़ाने हेतु सहायता एवं सामान की देख रेख करेगा। साथ ही डेयरी/शीत केन्द्र में खाली केन वाहन में भरना, संस्था पर खाली केन उतारना, दूध भरे केन डाक पर उतारना, साथ ही केन के उपर रखी बोरी में बाहर से पानी छिड़कने आदि का कार्य करेगा। दुग्ध परिवहन वाहन पर रखे गये वाहन चालक, परिचालक की उम्र 18 वर्ष से कम न हो तथा लाइसेंसशुदा हो। कर्मचारी के नाम एवं पूर्ण पता फोटो सहित महासंघ को लिखित में देना होगा एवं वाहन चालक के पास मोबाईल होना अनिवार्य आवश्यक होगा। यदि अनुबंधित वाहन मार्ग पर किसी कारण से विलम्ब होती है तो उसकी सूचना संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक एवं आगे की दुग्ध समितियों के सचिवों एवं हेडलोडरो को उनके सम्पर्क नंबरों पर अवगत कराना होगा।
- (30) दुग्ध वाहन में प्रति पाली ट्रक शीट संस्था के फैंट एवं वेट स्लिप दुग्ध वाहन चालक को ले जाना अनिवार्य होगा। वाहन चालक द्वारा ट्रक शीट संस्था के कर्मचारियों से/हेडलोडर से भराया जावेगा, ऐसा न करने पर वाहन के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है जो कि द्वितीय पक्ष को मान्य होगी। ट्रक शीट संस्था के कर्मचारियों द्वारा लिखित एवं हस्ताक्षरित होगा। डेयरी डाक में वाहन चालक द्वारा प्रतिदिन प्रतिपाली ट्रक शीट से संबंधित दूध पर्ची व मांग पत्र, ट्रक शीट के साथ प्रस्तुत करना होगा। इसके अभाव में संस्थाओं द्वारा प्राप्त शिकायत मान्य होगी व इसी आधार पर द्वितीय पक्ष से संस्था की हानि की राशि वसूली जायेगी।

- (31) महासंघ द्वारा प्रदाय समस्त सामाग्री रसीद/पावती द्वितीय पक्ष के चालक अथवा कन्डेक्टर द्वारा भण्डार के चालान दुग्ध समितियों से प्राप्त कर भण्डार शाखा में देना होगा व महासंघ द्वारा भेजी गयी डाक की पावती भी देनी होगी ।
- (32) दुग्ध वाहन ठेकेदार को वाहन में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या. की प्लेट एवं पत्र पेटी लगाना एवं उसका निरंतर उपयोग आवश्यक होगा एवं पत्र पेटी वाहन में लगा हुआ नहीं पाये जाने पर प्रतिदिन रू. 50/-अर्थदण्ड लगाया जावेगा जो कि वाहन परिवहन देयक से काटा जायेगा । ठेके की अवधि समाप्त होने या ठेका निरस्त होने की स्थिति में उसे मिटाना अनिवार्य होगा । तदुपरान्त ही अमानत राशि लौटायी जायेगी ।
- (33) महासंघ द्वारा निर्धारित मार्ग को बढ़ाने, घटाने या पुर्नसंरचित करने का अधिकार महासंघ को रहेगा । इस तरह जितना भी दूरी बढ़े या घटे उसमें निर्धारित दर से भाड़ा घटाया अथवा बढ़ाया जा सकेगा ।
- (34) उपरोक्त शर्तों का पालन करने या महासंघ द्वारा समय-समय पर दिये गए निर्देशों/आदेशों और सूचनाओं का ठेकेदार पालन करने हेतु बाध्य होगा, अन्यथा कभी भी ठेका निरस्त करने का अधिकार महासंघ को होगा तथा प्रतिभूति की राशि राजसात की जा सकेगी ।
- (35) दुग्ध वाहन पर प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित रीति से ऐसी सूचनायें दूध विक्रय हेतु नहीं है इस तरह की पट्टियां जिसमें काली पट्टी पर सफेद अक्षरो से अंकित पेंट की हुई लगाना होगा । महासंघ द्वारा दिये गये विज्ञापन प्लेट/पत्र पेटी अपने स्वयं के खर्चे पर आदेश प्राप्ति के एक माह के अन्दर अपनी वाहन पर लिखना आवश्यक है ।
- (36) यदि किसी दुग्ध संकलन मार्ग की किसी भी एक या अनेक समितियों में निरंतर दूध या फ़ैट की कमी की शिकायत महासंघ कार्यलय को प्राप्त होती है तो महासंघ के अधिकारी या पर्यवेक्षक सप्ताह में तीन दिन तक उक्त मार्ग के दूध वाहन में साथ जायेंगे । अधिकारी या पर्यवेक्षक दूध वाहन के साथ संलग्न रहने पर उन दिनों के यदि किसी भी संस्था/समिति में कोई कमी नहीं आती है तो यह मानकर दूध या फ़ैट में कमी वाहन स्तर पर ही हो रही है । संस्था/समिति को हुए नुकसान की राशि अनुबन्ध की शर्त क्रमांक 23 के अनुसार संबंधित मार्ग के परिवहन ठेकेदार के देयक से काटी जायेगी ।
- (37) प्रबंध संचालक को महासंघ के हित में यह अधिकार होगा की वह परिवहन ठेके को आवश्यकता न पड़ने पर बिना कोई कारण बताये एक माह के नोटिस पर अनुबंध निरस्त कर सके ।
- (38) दुग्ध संकलन वाहनों से मार्ग पर यदि दुग्ध वितरण का कार्य किया जाता है तो दूध से भरी क्रेट का रूपये 5.00 व साथ ही दूध से भरे केन रू. 1.00 प्रति लीटर के मान से दिया जायेगा ।
- (39) एक्सीडेन्ट एवं अन्य परिस्थितियों में ठेके के अन्तर्गत कार्यरत वाहन उसमें परिवहन की जाने वाली सामग्री अगर पुलिस द्वारा जब्त कर ली जाती है तो ऐसी स्थिति में होने वाले नुकसान की या तीसरे पक्ष को होने वाली क्षति की पूर्ति की पूर्ण जवाबदारी वाहन के ठेकेदार की होगी एवं महासंघ के सामान के क्षति की राशि की वसूली वाहन ठेकेदार से की जायेगी । साथ ही दुर्घटना के कारण होने वाली सभी देनदारीयां/मुआवजा की जवाबदारी द्वितीय पक्ष पर अकेला ही होगा ।

- (40) पशु आहार के वितरण के लिए महासंघ के निर्देश की अवहेलना करने पर वाहन ठेकेदार को प्रथम तीन दिन की रूपये 100/- (अक्षरी रूपये एक सौ मात्र) प्रतिदिन के हिसाब से आर्थिक दंड देते रहना होगा । तत्पश्चात् चौथे दिन अपने वाहन द्वारा पशु आहार न ले जाया गया तो महासंघ की ओर से स्पेशल वाहन द्वारा पशु आहार भेजा जायेगा एवं उस पर होने वाले वास्तविक व्यय को द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से काटा जायेगा एवं दंड भी किया जायेगा । यह शर्त महासंघ द्वारा संस्थाओं को प्रदाय की जाने वाले अन्य सामग्री हेतु भी लागू होगा ।
- (41) महासंघ द्वारा समितियों को प्रदाय करने हेतु दी गई सामग्री के चालान की कापी पर संस्था कर्मचारियों के हस्ताक्षर सील सहित पूर्ण कराकर हस्ताक्षरित चालान पुनः महासंघ कार्यालय में जमा करना होगा । हस्ताक्षरित चालान जमा न करने पर संबंधित संस्था को भेजे गए सामान की राशि द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से काटी जा सकती है ।
- (42) अनुबंध निष्पादन के पश्चात् द्वितीय पक्ष को अनुबंध की अवधि के दौरान समस्त श्रम विधान जो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या. पर लागू हो अथवा जो समय-समय पर विधान द्वारा लागू किये जावेंगे मान्य होगा । ऐसे सभी विधान के अंतर्गत ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के संबंध में समस्त देय राशि जैसे ई. एस. आई. अधिनियम के अन्तर्गत ई.एस.आई. उपादान, भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत भविष्य निधि उपादान तथा वेतन भत्ता अधिनियम के अन्तर्गत वेतन आदि की जवाबदारी वाहन ठेकेदार की होगी । यदि द्वितीय पक्ष उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का भुगतान करने में असफल पाया जाता है अथवा उसके द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है तो समस्त लेनदारी उसके बिलों में से काटने का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या.. रायपुर को होगा एवं ऐसे कटौती के लिये ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होगा । शासन द्वारा सेम्पल डिक्लेरेशन U/S 194 C(6) फार नाम डिक्लेरेशन आफ टैक्स एट सोर्स भरकर जमा करना होगा ।
- (43) डेरी डाक/शीत केन्द्र पर दुग्ध संकलन के पश्चात् धुले हुए खाली केन, नाम लिखने एवं अन्य कार्य हेतु दो घंटे तक रोके जा सकेंगे तथा यह कार्य पूर्ण होने के पश्चात् ही वाहन को खाली केन प्रदाय किये जायेंगे । इस अवधि में दूध परिवहन वाहन डेयरी/शीत केन्द्र पर रोका जा सकेगा ।
- (44) अनुबन्ध की शर्तों को परिवर्तन करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा । कार्य सुविधा/व्यवहारिकता को ध्यान में रखते हुए अनुबन्ध की शर्तों में परिवर्तन किया जा सकेगा, जिसकी पूर्ण सूचना द्वितीय पक्ष को दी जायेगी ।
- (45) इस अनुबन्ध एवं इसकी शर्तों में समय-समय पर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या. के नियमों विनियमों एवं शर्तों के अनुसार परिवर्तित/परिवर्धित की जा सकती है जिससे द्वितीय पक्ष मानने को बाध्य होगा ।

- (46) इस अनुबन्ध पत्र के अन्तर्गत विषयों से संबंधित उभयपक्षों के मध्य उत्पन्न विवाद का निराकरण सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय द्वारा ही किया जायेगा ।
- (47) अनुबंध करते समय द्वितीय पक्ष को स्टेट बैंक आफ इंडिया का बचत खाता क्रमांक एवं स्थायी खाता नंबर (PAN) कार्ड की सत्यापित छायाप्रति जमा करना आवश्यक होगा ।
- (48) दूध से भरे केनो की अधिकतम संख्या निम्नानुसार रहेगी—

क्र.	वाहन का प्रकार	केन की संख्या
1	जीप	15
2	टाटा ए.सी.ई.	30
3	महेन्द्र मैक्स	40
4	डी. आई. 207	40
5	पिकअप	40
6	टाटा 407	75

अनुबंधित वाहन में उक्त अधिकतम क्षमता से अधिक केन लाने पर प्रतिपाली प्रति केन रु. 10/- अतिरिक्त भुगतान किया जावेगा ।

- (49) वाहन चालक मद्यपान कर के वाहन न चलाए, ऐसे वाहन चालको की द्वितीय पक्ष द्वारा निरंतर चैकिंग की जाए तथा दोषियों को सेवा से पृथक किया जावें ।
- (50) महासंघ के द्वारा जो भी निर्धारित दुग्ध संकलन मार्ग निश्चित किया गया है, उसी पर वाहन खाली/भरी चलावें, यदि सत्यापन के समय पाया गया कि वाहन निर्धारित मार्ग से नहीं चलाया जा रहा है तो अधिकतम एक पाली के परिवहन का आर्थिक दण्ड किया जावेगा। साथ ही परिवर्तित मार्ग से जो दूरी कम होगी उसका सम्पूर्ण अनुबंध अवधि का कटौत्रा किया जावेगा ।
- (51) दुग्ध संयंत्र/दुग्ध शीत केन्द्र में अवरोध होने पर संकलन वाहनो को निकट के अन्य संयंत्र/शीत केन्द्र पर अनुबंधित दर पर भेजा जा सकेगा ।
- (52) दुग्ध समितियों में स्थापित बल्क मिल्क कूलर में अवरोध होने पर किसी भी वाहन को अनुबंधित दर पर उन बल्क मिल्क कूलर वाली समितियों में संकलन लाने हेतु भेजा जा सकेगा ।
- (53) संकलन मार्ग पर बल्क मिल्क कूलर स्थापित किये जाने पर संकलन मार्ग के वाहन टेकेदार को 01 माह पूर्व का नोटिस दिया जाकर वाहन बंद किया जा सकेगा ।
- (54) विशेष परिस्थितियों में अनुबंधित वाहन से कम क्षमता का वाहन चलाये जाने पर अनुबंधित दर में 20 प्रतिशत का कटौत्रा किया जावेगा। लेकिन किसी भी परिस्थिति में यह अवधि तीन दिवस से अधिक नहीं होगी। यदि इस अवधि में पुनः वाहन टेकेदार द्वारा अनुबंधित क्षमता का वाहन नहीं लगाया, तो उसका अनुबंध निरस्त कर प्रतिभूति राशि राजसात की जा सकेगी ।

- (55) महासंघ द्वारा निर्धारित समय सारणी अनुसार ही द्वितीय पक्ष को दुग्ध परिवहन कार्य करना होगा। यदि दुग्ध परिवहन वाहन निर्धारित समय पर दुग्ध परिवहन पाईन्ट पर नहीं पहुंचता है तो ऐसी दशा में समिति कर्मचारी निर्धारित समय के पश्चात् एक घंटे तक परिवहन पाईन्ट पर उपस्थित रहेगा। इस अवधि में भी वाहन दुग्ध परिवहन नहीं करता है तो उस दूध के खट्टे/फट्टे से हुई हानि की राशि एवं उस दूध को डेयरी डाक/शीत केन्द्र तक पहुंचाने में समिति द्वारा किये गये व्यय की राशि द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से काटी जावेगी। इसी प्रकार हेडलोड के समय पर नहीं पहुंचने पर 05 मिनट इंतजार कर अगले पाईन्ट पर जायेगा।
- (56) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 या अन्य वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक होने पर लाईसेंस प्राप्त करने का उत्तरदायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। अनुबंध अवधि प्रारंभ होने के एक माह में लाईसेंस प्राप्त कर उसकी छायाप्रति दुग्ध महासंघ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
- (57) डेयरी परिधि के अंदर तेज रफ्तार से वाहन नहीं चलाये जावेंगे, डेयरी परिधि में वाहन की साफ सफाई नहीं की जावेगी। डेयरी परिधि में वाहन के कर्मचारी नहाने-धोने जैसे कार्य नहीं करेंगे। यदि ऐसा किया जाता है तो महासंघ द्वारा जो निर्धारित दण्ड किया जावेगा उसका द्वितीय पक्ष देनदार रहेगा, साथ ही बिना अनुमति के नो को पानी भरने में प्रयोग नहीं किया जावेगा। यदि ऐसा करते हुए पाया जाता है तो महासंघ द्वारा जो दण्ड दिया जावेगा वह द्वितीय पक्ष को मान्य होगा। इसके अतिरिक्त डेयरी परिसर के अंदर आने के पश्चात् जब तक वह वाहन वापस खाली बाहर नहीं जाता है, तब तक वाहन कर्मचारी वाहन के साथ ही रहेगा।
- (58) द्वितीय पक्ष अपना वारिस श्री/श्रीमती/कु. संबंध उम्र को पूर्ण होशोहवास में नामांकित घोषित करता है। द्वितीय पक्ष की मृत्यु उपरांत श्री/श्रीमती/कु. को महासंघ से व्यवहार करने का अधिकार रहेगा। इसकी स्वीकृति के वारिस के हस्ताक्षर करवा कर प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष देगा।
- (59) इस अनुबंध के अंतर्गत यदि कोई राशि महासंघ/समितियों की निकलेगी तो प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष की चल/अचल सम्पत्ति से यह राशि वसूल करने का अधिकार होगा, इस प्रकार से की जाने वाली वसूली हेतु यदि कोई अतिरिक्त व्यय होता है तो उसके लिए भी द्वितीय पक्ष और उसका उत्तराधिकारी जिम्मेदार रहेगा।
- (60) वाहन का स्पीडो मीटर एवं सेल्फ स्टार्टर हमेशा चालू रहेगा, यदि खराब हो जाता है तो 24 घंटों में पुनः द्वितीय पक्ष द्वारा सुधरवाया जावेगा।
- (61) वाहन पर कार्यरत कर्मचारी के विरुद्ध सहकारी/सरकारी कानून अनुसार की जाने वाली कार्यवाही की जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी एवं यदि इस कारण से महासंघ/संस्थाओं को कोई हानि होगी तो उसका जवाबदार रहेगा। साथ ही प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि इस कारण से द्वितीय पक्ष का अनुबंध निरस्त कर दे एवं प्रतिभूति राशि राजसात कर लेवे।

- (62) संकलन वाहन में परिवहन के समय केन/डिब्बे/जार में पानी/तेल/डीजल इत्यादि खाली बर्तन एवं अन्य सामग्री नहीं रखी जावेगी, यदि पाई जाती है तो एक दिवस के परिवहन देयक के बराबर राशि दण्ड स्वरूप काटी जावेगी, साथ ही यदि इस कारण दूध खराब हुआ तो दूध की हानि राशि भी द्वितीय पक्ष से काटी जावेगी।
- (63) दुग्ध संकलन मार्ग पर पड़ने वाले टोल टेक्स निविदा में ही दर सम्मिलित करें। जिन मार्गों पर नये टोल टेक्स प्रारंभ होंगे, उनके लिए अलग से भुगतान किया जावेगा।
- (64) समस्त विवादों के निपटारे के लिये न्यायिक कार्य क्षेत्र रायपुर (छ.ग.) होगा। दुग्ध संकलन परिवहन हेतु निविदा की शर्त एवं नियम 01 से 63 तक मैंने अपने पूर्ण होशोहवाश से पढ़ ली है जो मुझे मान्य एवं बाध्यकारी है।

इस अनुबन्ध पत्र पर उभय पक्ष द्वारा आज दिनांक ----- को दो गवाहों के समक्ष हस्ताक्षर किये गये तथा प्रतिभूति राशि प्रति वाहन जीप/टाटा ए.सी.ई0./महेन्द्रा मैक्स/डी.आई. 207/पिकअप हेतु 15000/- (अक्षरी पन्द्रह हजार रुपये मात्र) /टाटा 407 वाहन हेतु रु. 20000.00 (अक्षरी बीस हजार रुपये मात्र) मात्र छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या. उरला जिला-दुर्ग के कार्यालय में रसीद क्रमांक ----- दिनांक ----- को बैंक ड्राफ्ट/नगद द्वारा जमा किया गया।

मैं द्वितीय पक्षकार अनुबंध की शर्तों का अवलोकन भलि भांति एवं पूर्ण होशोहवाश में कर लिया है एवं निम्न साक्षियों के समक्ष प्रथम पक्ष से अनुबंध निष्पादित करता हूँ।

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

प्रबन्ध संचालक

अनुबन्धकर्ता

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या.

नाम -----

पता -----

गवाह प्रबन्ध पक्ष

अनुबन्धकर्ता के गवाह

1- हस्ताक्षर-----

1-हस्ताक्षर-----

नाम -----

नाम -----

पता -----

पता -----

2- हस्ताक्षर-----

2-हस्ताक्षर-----

नाम -----

नाम -----

पता -----

पता -----

अनुबंधकर्ता द्वितीय पक्ष द्वारा नामांकित उत्तराधिकारी-

उनकी पत्नी का नाम-

हस्ताक्षर-

हमारा स्थायी आयकर खाता क्रमांक (पेन नं.)-